



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट(पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

दिनांक 27-07-2021

पत्रांक- 1346/13 सी0

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।


विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घो0 संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.915 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में (Online No. FP/UK/ROAD/31411/2018)।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 1218/13सी0 दिनांक 06.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण ऑनलाईन कर दिया गया है। निराकरण हेतु अपलोड किये गये प्रपत्रों की हार्ड कापी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। (45 पृष्ठ) X 5 प्रति


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक / 13 सी0 तददिनांक
प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- वन संरक्षक उत्तरी कुमायू वृत्त अल्मोड़ा को (संलग्नक सहित) प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अस्कोट(पिथौरागढ़)

मेल्ड
28-7-2021

पिथौरागढ़ वन प्रभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक- 1218/13 सी0

दिनांक 06.07 - 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:-

जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घो0 संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.915 हे0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में (Online No. FP/UK/ROAD/31411/2018)

संदर्भ:-

भारत सरकार के फाईल सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/25/2021/एफ0सी/2463 दिनांक 15.03.2021 द्वारा आनलाईन लगाई गई आपत्ति के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण बिन्दुवार


निम्नवत है:-

क्र. सं0	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	It is seen that 0.28 ha area selected for muck disposal in foresr area. State Government is requested to avoid forest area for muck disposal and select some non forest land for this purpose	डम्पिंग यार्ड हेतु कुल 1.72 हे0 भूमि की आवश्यकता है। जिस हेतु अधिकतम नाप भूमि का प्रयोग करते हुए 1.440 हे0 ली गई है तथा शेष 0.28 हे0 ही वनभूमि चिन्हित की गई है।
2	On persusal of KML file of the proposed area. It has been noticed that village Dewal is already connected with the road. State Government is requested to submit the details of remaining habitation, their population and path distance from the nearest existing road	यह मार्ग देवल से होकर खोलियागांव, दारती खड़ियानी, छबीसा को जोड़ते हेतु जाता है। जिनकी जनसंख्या क्रमशः 1434, 249, 123, 27, 81 है। प्रतिवेदन में सूचना अंकित है। तथा exsiting मोटर मार्ग से इन ग्रामों की दूरी क्रमशः 4.00 किमी0, 4.00 किमी0, 6.00 किमी0, 7.00 किमी0 व 10.00 किमी0 है।
3	Details of 631 trees to be enumerated found uploaded at para 4 in part II and in tree emueration list. However it has been mentioned in the justification that tree counting done in 9 m width. State Government is requested to submit the tree enumeration list in 5.2 mtr width and at curve 6.1 mts. Width as the area is very dense and population is less in the area.	मार्ग में पेड़ों की गणना 6.00 मी0 में की गई है, एवं वनभूमि प्रस्ताव में मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 में ली गई है। औचित्यपूर्ण विवरण जस्टिफिकेशन में त्रुटिवश 9.00 मी0 में अंकित हो गया था जिसे सही कर दिया गया है।
4	Details of alternate not found uploaded at para D (ii) (a). may submit at least three alternate in this regard to minimize the number of trees.	वैकल्पिक समरेखन का तुलनात्मक विवरण अपलोड कर दिया गया है।
5	State Government is requested to upload submit the village level committee meeting proceedings of each village separately	वी0एल0सी0 मिटिंग के प्रपत्र अपलोड कर दिये गये हैं।
6	Letter number and date is not found mentioned in FRA certificate of district Magistrate State Government may do the needful in this regard	एफ0आर0ए0 में पत्रांक ओर दिनांक अंकित करा अपलोड कर दिया गया है।
7	Date of meeting of District Level Committee is mentioned as 21-08-2018 and 26-12-2017 in two different document. State Government may clarify this.	पूर्व में वनभूमि प्रपत्रों में केवल जिलाधिकारी स्तर का प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2017 को प्रदत्त किया गया था, बाद में जिला स्तरीय समिति का प्रमाण पत्र भी मांगे

		जाने के कारण पुनः दिनांक 21.08.20218 को जिला स्तरीय समिति के सदस्यों की बैठक की गई, जिस कारण दोनों प्रपत्रों में भिन्न दिनांक अंकित है।
8	As per DSS analysis of CA area proposed in civil soyam land 6 ha. Area found in VDF and 2 ha. In MDF State Government may submit the list of trees standing in the CA area and submit the site inspection report of the concerned DFO.	प्रपत्र अपलोड कर दिये गये हैं।
9	State Government is requested to check the rate mentioned in the CA scheme which does not appear to correct	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्किम नई दरों से तैयार कर अपलोड कर दी गई है।
10	Documents uploaded at L (iv) g & h are not correct. State Government may upload the correct documents at L(iv) g & h in part- I	प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है।
11	CA scheme uploaded online in part II not properly scanned State Government may upload a clear copy of the CA scheme.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
12	Aerial distance of the proposed area from the nearest wildlife sanctuary is mentioned as 470 mtr.. State Government may submit the comments of CWLW in the regard.	CWLW certificate अपलोड कर दिया गया है।
13	In view of the above point no. xii details filled at para 8 seems not correct. State Government may direct the DFO to verify and fill the correct details at para 8 in Part II	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
14	Density is mentioned as 0.3 for 631 trees in 4.915 ha. Area which does not appear to be correct and may be corrected	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
15	Tree enumeration list uploaded online in part II is not properly scanned. . State Government may uploaded the clear and complete copy of the tree enumeration list online.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
16	Details of trees mentioned at para 4 in Part II are not matching with details mentioned in the tree enumeration list uploaded in additional documents. State Government may provide clarication in this regard and remove this discrepancy	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
17	Administrative approval and CA site suitability is not found uploaded. Which may be uploaded.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का पत्र एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
18	Following short coming are noticed in the muck disposal plan. State Government is required to make the necessary correction accordingly .	-
(a)	State Government is required to mark the muck disposal site in KML File	मक डिस्पोजल साईट के 0एम0एल0 पर अंकित कर दी गई है।
(b)	State Government may clarify whether 0.28 ha. Area selected for muck disposal is enough for the purpose	0.28 है0 सिविल भूमि के अतिरिक्त 1.44 है0 नापभूमि पर मक डिस्पोजल किया जाना प्रस्तावित है।
(c)	Swell factor is not found calculated in the muck disposal plan	सही कर दिया गया है।
(d)	It is seen that 6 sites of non- forest area mentioned in muck disposal plan are not included in component wise breakup at para B 2.4 in part I which may be done	आनलाईन निराकरण कर दिया गया है।

(e) Total debris is mentioned as 1,26,000 cum out of which 83.792 cum mentioned to be consumed but balance calculated is 26.460 cum which is incorrect and seems not verified by DFO also. However muck disposal plan of only 34.425 cum is submitted instead of 39.208 cum. State Government may submit clarification and submit the correct muck disposal plan	मक प्लान सही कर अपलोड कर दिया गया है।
(f) State Government is also requested to submit the reclamation plan	अपलोड कर दिया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सेवा में प्रेषित ।


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक / 13 सी० तद्दिनांक
 प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो०नि०वि० पिथौरागढ़।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त अल्मोड़ा।
4. सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट ।
5. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट ।

अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 अस्कोट(पिथौरागढ़)